रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 2016/फाल्गुन 5, 1937
No. 123] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 2016/ PHALGUNA 5, 1937

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 191(अ).— केंद्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-**
(1) इन नियमों को "इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 150 वां वार्षिकोत्सव" के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए एक सौ पचास रुपये और पांच रुपये के सिक्कों का निर्माण नियम, 2016 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **सिक्कों का अंकित मूल्य**-- "इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 150 वां वार्षिकोत्सव" के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसाल में निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का निर्माण किया जाएगा, अर्थात् :—
(i) एक सौ पचास रुपये;
(ii) पांच रुपये;

3. **सिक्कों की विमाएं और संरचना** --- नियम 2 में उल्लिखित अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :-

सिक्के का अंकित मूल्य	आकृति और बाह्य व्यास	दांतों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ पचास रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चतुर्थक मिश्र धातु रजत– 50 प्रतिशत तांबा – 40 प्रतिशत

			निकल – 05 प्रतिशत जस्ता – 05 प्रतिशत
पांच रुपये	वृत्ताकार 23 मिलीमीटर	100	**निकल पीतल** तांबा – 75 प्रतिशत जस्ता – 20 प्रतिशत निकल – 05 प्रतिशत

4. डिज़ाइन – सिक्कों का डिज़ाइन निम्नानुसार होगा :—

(i) एक सौ पचास रुपये

अग्र भाग

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे **"सत्यमेव जयते"** मुद्रा लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में **"भारत"** शब्द और दाहिनी परिधि पर अंग्रेजी में "INDIA" शब्द होगा और सिंह शीर्ष के नीचे रुपया का प्रतीक **"₹"** और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **"150"** भी होगा।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग के मुख्य भाग पर ''पुस्तक से उभरते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का केन्द्र मुहरा'' दर्शाते हुए आकृति होगी। ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में **"इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 150 वां वार्षिकोत्सव"** लेख और निचली परिधि में अंग्रेजी में **"150Th ANNIVERSARY OF ALLAHABAD HIGH COURT"** और आकृति के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में वर्ष **"1866-2016"** उत्कीर्ण किया जाएगा।

(ii) पांच रुपये

अग्र भाग

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे **"सत्यमेव जयते"** मुद्रा लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में **"भारत"** शब्द और दाहिनी परिधि पर अंग्रेजी में "INDIA" शब्द होगा और सिंह शीर्ष के नीचे रुपया का प्रतीक **"₹"** और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **"5"** भी होगा।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग के मुख्य भाग पर ''पुस्तक से उभरते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का केन्द्र मुहरा'' दर्शाते हुए आकृति होगी। ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में **"इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 150 वां वार्षिकोत्सव"** लेख और निचली परिधि में अंग्रेजी में **"150Th ANNIVERSARY OF ALLAHABAD HIGH COURT"** और आकृति के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंको में वर्ष **"1866-2016"** उत्कीर्ण किया जाएगा।

5. **मानक वजन तथा अनुमत छूट** : **"इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 150 वां वार्षिकोत्सव"** के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए बनाए गए निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन और ऐसे सिक्कों को बनाने में अनुज्ञात छूट निम्नलिखित सारणी में यथाविनिर्दिष्ट रुप में होगी, अर्थात् :-

IndiaCode

सारणी

सिक्के का अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुमत छूट	
		संघटन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ पचास रुपये	35 ग्राम	रजत में 1/500वां जमा या घटा अर्थात् रजत के अंश में प्रति 1000 में 498 से 502 तक का अंतर हो सकेगा ।	1/100वां जमा या घटा अर्थात् वजन में 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक अंतर हो सकता है।
पांच रुपये	6 ग्राम	तांबा और जस्ता के लिए 1/100वां जमा या घटा, अर्थात् तांबे में 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत और जस्ता में 19 प्रतिशत से 21 प्रतिशत का अंतर हो सकता है तथा निकल के लिए 1/200वां जमा या घटा अर्थात् निकल में 4.5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत का अंतर हो सकता है।	1/40वां कम या ज्यादा अर्थात् वजन 5.85 ग्राम से 6.15 ग्राम का अंतर हो सकता है ।

[फा. सं.02/01/2014-सिक्का]

पंकज गुप्ता, अवर सचिव (एसपीएमसी और सिक्का)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2016

G.S.R. 191(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.—**

 (1) These rules may be called the Coinage of One Hundred Fifty Rupees and Five Rupees Coins to commemorate the occasion of 150th Anniversary of Allahabad High Court Rules, 2016.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coins** .- The coins of the following denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of "150th Anniversary of Allahabad High Court", namely:—

 (i) One Hundred Fifty Rupees;

 (ii) Five Rupees.

3. **Dimension and composition of coins** .—The coins of the denominations mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely:—

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Fifty Rupees	Circular 44 millimeters	200	Quaternary Alloy Silver - 50 per cent. Copper - 40 per cent. Nickel - 05 per cent. Zinc - 05 per cent.
Five Rupees	Circular 23 millimeters	100	**Nickel Brass** Copper - 75 per cent. Zinc - 20 per cent. Nickel - 05 per cent.

4. **Design: - The design of the coins shall be as under:-**

(i) ONE HUNDRED FIFTY RUPEES

OBVERSE:

The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the center with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below, flanked on the left periphery with the word "भारत" in Devanagari script and on the right periphery flanked with the word "INDIA" in English and it shall also bear the Rupee symbol "₹" and denominational value "150" in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

The face of the coin shall bear the image, depicting "Center façade of Allahabad High Court Building emerging from the book". The inscription "इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 150 वां वार्षिकोत्सव" in Devanagari Script and "150TH ANNIVERSARY OF ALLAHABAD HIGH COURT" shall be written on top and bottom periphery respectively on this face of the coin. The year 1866 – 2016 in English numerals shall be written at the bottom of the image.

(ii) FIVE RUPEES

OBVERSE:

The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the center with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below, flanked on the left periphery with the word "भारत" in Devanagari script and on the right periphery flanked with the word "INDIA" in English and it shall also bear the Rupee symbol "₹"and denominational value "5" in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

The face of the coin shall bear the image, depicting "Center façade of Allahabad High Court Building emerging from the book". The inscription "इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 150 वां वार्षिकोत्सव" in Devanagari Script and "150TH ANNIVERSARY OF ALLAHABAD HIGH COURT" shall be written on top and bottom periphery respectively on this face of the coin. The year 1866 – 2016 in English numerals shall be written at the bottom of the image.

5. Standard weight and remedy allowed .—The standard weight of the coins of the following denominations, coined to commemorate the occasion of "150th Anniversary of Allahabad High Court" and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the Table below:—

TABLE

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Fifty Rupees	35 Grams	$1/500^{th}$ plus or minus for Silver, that is to say the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	$1/100^{th}$ plus or minus, that is to say, the weight could vary from 34.65 grams to 35.35 grams.
Five Rupees	6 Grams	$1/100^{th}$ plus or minus for Copper and Zinc, that is to say Copper could vary from 74 per cent. to 76 per cent. and Zinc from 19 per cent. to 21 per cent. and $1/200^{th}$ plus or minus for Nickel that is to say Nickel could vary from 4.5 percent to 5.5 per cent.	$1/40^{th}$ plus or minus, that is to say, the weight could be varying from 5.85 gram to 6.15 gram.

[F. No. 02/01/2014-Coin]

PANKAJ GUPTA, Under Secy. (SPMC & Coin)

IndiaCode

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.